

बिहार सरकार  
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक: 6/वि2-1024/12- 928  
सेवा में,

पटना, दिनांक:- 09/06/14

महालेखाकार  
बिहार, पटना।

विषय: राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत बिहार राज्य के 11 आई0ए0पी0 जिलों में पेयजल की सुविधा हेतु इण्डिया मार्क- II पम्प एवं सौर ऊर्जा पर आधारित पम्प (डुवेल पम्प) के साथ 281 जलापूर्ति योजना का निर्माण एवं इन योजनाओं के पांच वर्षों के परिचालन एवं रख-रखाव हेतु 2275.10 लाख (बाईस करोड़ पचहत्तर लाख दस हजार रुपये मात्र) की राशि पर योजना की स्वीकृति।

आदेश: राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत बिहार राज्य के 11 आई0ए0पी0 जिलों में पेयजल की सुविधा हेतु इण्डिया मार्क- II पम्प एवं सौर ऊर्जा पर आधारित पम्प (डुवेल पम्प) के साथ 281 जलापूर्ति योजना का निर्माण एवं इन योजनाओं के पांच वर्षों के परिचालन एवं रख-रखाव हेतु 2275.10 लाख (बाईस करोड़ पचहत्तर लाख दस हजार रुपये मात्र) की राशि पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। योजना की जिलावार विवरण परिशिष्ट- I पर संलग्न है।

2. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु Ministry of New and Renewable Energy, GoI के National clean energy fund (NCEF) से योजना लागत राशि 1432.10 लाख रूपया का 40 प्रतिशत यानि 572.84 लाख रू0 प्राप्त है। प्रस्तावित योजना की शेष लागत राशि में 30 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम से 429.63 लाख एवं 30 प्रतिशत राशि राज्य योजना मद से 429.63 लाख रूपया का वहन किया जाना है। इस योजना में पांच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख-रखाव हेतु 843.00 लाख रू0 का वहन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के मरम्मत-सम्पोषण (O&M) कार्य हेतु कर्णांकित 15 प्रतिशत राशि से किया जाएगा।

3. परिशिष्ट- I में जिलावार अंकित योजनाओं की लागत राशि में केन्द्रांश मद की राशि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (BSWSM) के NRDWP, Programme Fund के बैंक बचत खाता संख्या 31458965548 में उपलब्ध कराई गई राशि से योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को विमुक्त की जाएगी।

4. इस योजना पर होनेवाले राज्यांश मद (30%) राशि का व्यय योजना बजट शीर्ष 4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-01- जल पूर्ति-102- ग्रामीण जल पूर्ति-उप शीर्ष -0330- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम विपत्र कोड-P4215011020330-विषय शीर्ष-53 01- मुख्य निर्माण कार्य; 4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-01- जल पूर्ति-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- उप शीर्ष -0312- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम विपत्र-कोड-P4215017890312- विषय शीर्ष-53 01- मुख्य निर्माण कार्य एवं 4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-01- जल पूर्ति-796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना- उपशीर्ष -0317- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम विपत्र-कोड-P4215017960317-विषय शीर्ष-53 01- मुख्य निर्माण कार्य में भारितव्य होगा।

5. इस योजना के अन्तर्गत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे। राशि की निकासी संबंधित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी। योजना पर होनेवाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा।

6. इस राशि में से स्थापना पर कोई व्यय नहीं किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

7. इसके नियंत्रि पदाधिकारी अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।
8. योजना एवं गैर -योजना मद में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-एम4-53/2007- 96 वि० (2), दिनांक 03.01.08 के आलोक में दिनांक-17.02.2014 को हुई योजना प्राधिकृत समिति की बैठक एवं दिनांक-27.05.2014 को हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गयी है।
9. राज्यांश मद की राशि हेतु वर्ष 2014-15 के योजना बजट में प्रावधान है।
10. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
- अनु०- यथोपरि।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

~~AA 516/14~~  
(अंशुली आर्या)  
प्रधान सचिव

पटना, दिनांक-९/६/१५

ज्ञापांक:- ११८  
प्रतिलिपि:-

1. अनु० सहित वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय, विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
  2. अनु० सहित अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव/ मुख्य अभियंता (नागरिक)/ मुख्य अभियंता (रूपांकन)/ सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/ अधीक्षण अभियंता (मो०)/ विशेष पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता (मो०)/उप निदेशक, (मूल्यांकन/निदेशक, पी०एम०यू०/प्रशाखा-6/आई०टी०,मैनेजर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
  3. अनु० सहित सभी संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ संबंधित अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अंचल /संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- अनु०- यथोपरि।



~~AA 516/14~~  
(अंशुली आर्या)  
प्रधान सचिव

(14)

परिशिष्ट-I

256

Scheme of 11 IAP Districts for Installation of Solar Energy Based Dual Pump water supply schemes on IM II Tube Well under NRDWP for year 2013-14

Sl. No.	Name of the district	Quantity (Nos.)	Installation of Solar Energy Based Dual Pump Water Supply Scheme on 125mm X 40mm X 61 M Deep IM II Hand Tube Well @ Rs.5.00 Lakh	Installation of Solar Energy Based Dual Pump Water Supply Scheme on 125mm X 45 M Deep Gravel Packed IM II Hand Tube Well @ Rs.5.12 Lakh	Installation of Solar Energy Based Dual Pump Water Supply Scheme on 125mm X 70 M Deep Drilled IM II Hand Tube Well @ Rs.5.01 Lakh	Total amount (Rs. In lakh)
1	2	3	4	5	6	7
1	Gaya	45	10	6	29	226.010
2	Aurangabad	29	10	12	7	146.510
3	Jehanabad	23	0	23	0	117.760
4	Arwal	5	5	0	0	25.000
5	Nawada	18	2	12	4	91.480
6	Rohtas	8	0	3	5	40.410
7	Kaimur	40	0	17	23	202.270
8	Munger	18	6	6	6	90.780
9	Jamui	43	0	13	30	216.860
10	Samarhi	15	8	7	0	75.840
11	West Champaran	37	37	0	0	185.000
<b>Total</b>		281	78	99	104	1417.920
Add 1% contingency						14.1792
Add operation & maintenance for one year @ Rs. 0.60 lakh per year for each scheme ie 281 nos. X 0.60 lakh X 5 years						843.000
<b>Grand Total</b>						2275.0992
Say,						2275.100
(Rupees Twenty two crore seventy five lakh ten thousand only)						

*(Signature)*  
19/12/13  
(Birendra Kumar)  
Chief Engineer (Urban)

2115  
P. 112